उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग--2

सं0 8446 (एच0आई0) / 36-2--124 (एस0एम0)-70

लखनऊ, 3 फरवरी, 1977

अधिसूचना

प्रकीर्ण

ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 37, 1970) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, 31 मार्च, 1977 को ऐसा दिनांक निश्चित करते हैं जिसके पूर्व प्रत्येक प्रतिष्ठान का जिस पर उक्त अधिनियम लागू होता है, मुख्य सेवायोजक अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी को आवेदन-पत्र देगा।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद आर्य,
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग--2

सं0 8446(एच0आई0) (2) / 36-2--124 (एस0 एम0)-70

लखनऊ, 3 फरवरी, 1977

अधिसूचना

प्रकीर्ण

ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 37, 1970) की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, 15 अप्रैल, 1977 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जिस दिनांक से कोई संविदाकार जिस पर उक्त अधिनियम लागू होता है, लाइसेन्स अधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए गए लाइसेन्स के अधीन और अनुसार ही अन्यथा नहीं, संविदा श्रम के माध्यम से कोई कार्य न तो अपने हाथ में लेगा और न निष्पादित करेगा।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद आर्य,
विशेष सचिव।